National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040; Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 2; Issue 2; May 2017; Page No. 270-272

राजस्थान में जनजाति आन्दोलन

डॉ॰ चित्रा तंवर

संविदा व्याख्याता, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविधालय, जयपुर, राजस्थान, भारत।

प्रस्तावना

राजस्थान में स्वाधीनता के लिए हुए आन्दोलनों में भील, मीणा व गरासिया आदि जनजातियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

भीलों के आन्दोलन

राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया, सांसी, सहारिया व डामोर मुख्य जनजातियां हैं। जनजातियां यहाँ प्राचीन काल से ही निवास करती आई हैं। यह भी माना जा रहा है कि ये जातियां ही यहाँ की मूल निवासी थीं। राजपूतों के राज्य स्थापित होने से पूर्व इस क्षेत्र में इनके छोटे–बड़े अनेक जनपद थे। मेवाड़ राज्य की रक्षा में वहाँ के भीलों ने सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यही कारण था कि मेवाड़ के राज्य चिन्ह में राजपूत के साथ एक धनुष धारण किये हुए भील का चित्र भी अंकित था। इसी प्रकार जयपुर के राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर मीणा लोग ही अपने खून से राजतिलक करते थे।

इन जातियों में भी ब्रिटिश शासनकाल में राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित कुछ ऐसे जन सेवक पैदा हुए जिन्होने इन जातियों में जन–जाग्रति का शंखनाद किया और उन्हें अपनी स्थिति और अधिकारों का आभास कराया। इनमें गुरू गोविन्द, मोतीलाल तेजावत जैसे व्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

मीणों के आन्दोलन

राजपूताने के कई राज्यों में मीणा जनजाति निवास करती थी। पूर्व खोह, मांची, गेटोर, आमेर, झोटवाड़ा, भांडारेज, नरेठ आदि क्षेत्रों में मीणों के जनपद थे तथा वहाँ मीणा शासक राज्य करते थे। मीणों का मुख्य क्षेत्र ढूंढाड़ था। वहाँ से कछवाहा राजपूतों ने उसका राज्य छीन लिया। समय पकर मीणों के दो मुख्य भेद हो गये। जो मीणे खेती करते थे वे खेतिहर मीणे तथा जो चौकीदारी करते थे वे चौकीदार मीणे कहलाते लगे। समय पाकर चौकीदार मीणों को चोरी और डकैती के लिए जिम्मेदार ठहराया जाने लगा तथा किसी चोरी का माल बरामद न होने की स्थिति में उस चोरी के माल की कीमत चौकीदारी मीणा से वसूल की जाने लगी। मीणे अपने ऊपर पड़े दण्ड की क्षतिपूर्ति चोरी और डकैतियों से ही करने लगे तथा इससे उनमें अपराध प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया। भारत सरकार ने सन् 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया।

राजस्थान में जनजाति आन्दोलन

भील आन्दोलनः– गोविन्दगुरू का आन्दोलन

गुरू गोविन्द का जन्म सन् 1858 में डूंगरपुर राज्य के बांसिया ग्राम में एक बणजारे के घर हुआ था। इन्होने ग्राम के पुजारी की सहायता से साधारण शिक्षा प्राप्त की। गोविन्द गुरू स्वामी दयानन्द सरस्वति की प्रेरणा से युवावस्था में ही जनजातियों की सेवा में जुट गये। गोविन्द गुरू ने आदिवासियों की सेवा के लिए 1883 में सम्प सभा की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उन्होने मेवाड़, डूगरपुर, गुजरात, ईडर, विजयनगर और मालवा के भील तथा गरायिों को संगठित किया। उन्होने इन जातियों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने और कुरीतियों को मिटाने का प्रयास किया तथा मूलभूत अधिकारों का बोध कराया।

गुरू गोविन्द ने सम्प सभा का पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी (गुजरात) पर कराया। इस अधिवेशन में गुरू गोविन्द से प्रभावित होकर सैकड़ो भील एवं गरासियों ने शराब छोड़ने बच्चों को पठाने तथा अपनी पंचायत के माध्यम से झगड़े निपटारे का संकल्प लिया। गुरू गोविन्द ने इन जातियों को बैठ–बैगार गैर वाजिब लागतें नही देने के लिए समझाया। प्रतिवर्ष की भांति 1913 में भी मानगढ़ पहाड़ी पर सम्प सभा का अधिवेशन हुए, बहुत बड़ी संख्या में भील एवं गरासिया स्त्री–पुरूष सम्प सभा के अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे, मानगढ़ की पहाड़ी को अंग्रेज सैनिको ने घेर करके गोलियों की बोछार कर दी। परिणाम स्वरूप 1500 आदिवासी मानगढ़ पहाड़ी पर ही शहीद होगए तथा हजारो घायल हो गए।

गुरू गोविन्द एवं उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। (अहमदाबाद) आन्दोलन ने गुरू गोविन्द को फाँसी की सजा दी, परन्तु आदिवासी भीलों की प्रतिक्रिया के से उनकी फाँसी की सजा को घटा करके 20 साल के कारावास मे बदल दिया पर उन्हें 10 वर्ष के पश्चात् ही रिहा कर दिया गया।

गोविन्द गिरी द्वारा राजस्थान के डूँगरपुर व बांसवाड़ा की सदियों से शोषित व उत्पीड़ित भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति व नवजीवन के संचार हेतु चलाये गये आन्दोलन को ही भगत आन्दोलन के नाम से जाना जाता है। स्वामी गोविन्द गिरी ने भीलों और गरासियों के बीच भगत आन्दोलन चलाया। उन्होने भीलों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने को कहा तथा धूणी एवं निशान की पूजा करने के लिए भी कहा।

एकी आन्दोलन या भोमट भील आन्दोलन

राजस्थान में मोती लाल तेजावत के नेतृत्व में शुरू हुआ एकी आन्दोलन विशुद्ध रूप से आदिवासियों के हकों के लिए पहला राजनीतिक संघर्ष था। भीलों को अन्याय और अत्याचार, शोषण व उत्पीड़न से मुक्त करने हेतु संगठित करने के उद्देश्य से श्री मोती लाल तेजावत ने उन्हें एकता के सूत्र में आबद्ध किया। भीलों में एकता स्थापित करने के इस अभियान को ही एकी आन्दोलन कहा जाता है। चूँकि यह आन्दोलन भील क्षेत्र भोमट में चलाया गया था, इयलिए इसे भोमट भील आन्दोलन भी कहा गया है। इस आन्दोलन का मुख्य आधार भीलों में उपजों असन्तोष था, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे–

- बराड़ आदि राजकीय करो की वसूली में भीलों के साथ कुर्रतापूर्ण व्यवहार।
- डाकन प्रथा पर रोक व अन्य सामाजिक सुधारों से भीलों की धार्मिक भावनाएँ आहत।
- बिना भू–राजस्व चुकाए खेती करने व वनोत्पादको को संचित करने के भीलों के परम्परागत अधिकारों पर रोक लगाना।
- तम्बाकू, अफीम, नमक आदि पर नए कर लगाना।
- अत्यधिक लाग–बाग व बैठ बेगार प्रथा।

श्री तेजावत ने अहिंसक 'एकी' आन्दोलन की शुरूआत चित्तौड़गढ़

के राशमी तहसील के मातृकुण्डिया स्थान से की। उन्होने कोरण, झाडोल व मादड़ी जैसे आदिवासी भीलों को संगठित कर अवैधा लगा–बाग व बेगार न देने हेतु प्रोत्साहित किया। मोतीलाल तेजावत ने 21 सजी मांग पत्र तैयार किया जिसे मेवाड़ प्रकार की संज्ञा दी जाती है। उन्होने इस संबंध में विजयनगर राज्य के नीमण गांव में पालस्थितिया मे 7 मार्च 1922 को एक सम्मेलन बुलाया जिसे सफल होने से रोकने के लिए मेवाड़, भील कोर के सैनिको ने अधाधुंध फायरिंग कर व्यापक नरसंहार किया जिससे 1200 भील मारे गए। श्री तेजावत अज्ञातवास मे चले गए। मोती लाल तेजावत का जन्म 16 मई, 1887 को कोलीयार ग्राम उदयपुर में हुआ था। श्री तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है तथा उन्हें आदिवासी बावसी के नाम से पुकारते थे।

सन् 1924 में क्रिमिनल ट्राइबन एक्ट तथा जयपुर राज्य में जरायम पेशा कानून 1930 के तहत इन्हे जरायम पेशा मानकर स्त्री–पुरूष सभी को रोजाना (12 वर्ष से अधिक) थाने में उपस्थिति देने के लिए पाबन्द किया गया। मीणा समाज ने इनका तीव्र विरोध किया तथा अपने मानवोचित अस्तित्व के लिए 'मीणा जाति सुधार कमेटी' एवं सन् 1933 में मीणा जाति क्षत्रिय महासभा का गठन किया। जैन मुनी गमन सागर की अध्यक्षता में अप्रैल 1944 में मीणों का एक विशाल सम्मेलन नीम का थाना में हुआ, जहां पण्डित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, इस समिति ने 1945 ई. में जरायम पेशा व अन्य कानून वापिस लेने की मांग करते हुए समिति ने संयुक्त मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल के नेतृत्व में आन्दोलन चलाया। जुलाई 1946 में सरकार ने स्त्रियों व बच्चों को पुलिस में उपस्थिति देने से मुक्त कर दिया। बाद में कभी भी अपराध नही करने वाले मीणो को जरायम पेशा कानून के तहत रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने में सरकार ने छूट दे दी।

28 अक्टूवर, 1946 कसे एक विशाल सम्मेलन बागावास में बुलाकर चौकीदार मीणो ने स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दिया तथा इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मीणों द्वारा लगातार प्रयास करने पर सन् 1952 मे कहीं जाकर यह जरायम पेशा संबंधी काला कानून रद् हुआ।

बनवासी सेवा संघ

भीलो सहित आदिवासियों में जागरण की लहर लाने के प्रयासों की श्रृंखला में सर्वश्री, भूरे लाल बया, भोगी लाल पण्ड्या व राज कुमार, मान सिंह जैसे समाज सुधारकों ने 'वनवासी सेवासंघ' की स्थापना कर भीलों में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया।

जन आन्दोलन एवं मुख्य क्रांतिकारी गतिविधियाँ

26 जनवरी 1930 को चुरू के धर्मस्तूप के शिखर पर चन्दनमल बहड़, स्वामी गोपालदास व साथियों ने तिरंगा झण्ड़ा फहराया।

बीकानेर षडयंत्र अभियोग 1932:– इसी बीच बीकानेर के महाराजा गंगा हसंह 1931 में गोलमेज सम्मेलन मे भाग लेने लंदन गए। जिसमें चन्दनमल बहड़ और उसके साथियों ने बीकानेर राज्य की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हुए बीकानेर एक दिग्दर्शन' नामक पुस्तक वितरित करवा दी थी। अतः उन्होने चन्दनमल बहड़, सत्यनारायण, स्वामी गोपालदास, लाल खूबराम सर्राफा व साथियों पर राजद्रोह का झूंठा मुकदमा चलाया व कड़ी सजाएं दी। इसे बीकानेर षड़यंत्र अभियोग 1932 के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार बिजौलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का संचालन हीरा भाई किंकर ने कर रखा था, जिसकी एक शाखा साधु सीताराम दास ने स्थापित की थी।

मारवाड़ का तोल आन्दोलनः– श्री चान्दल सुराणा एवं उसके साथियों द्वारा यह आन्दोलन जोधपुर सरकार द्वारा 1920–21 में 100 तौल के सेर को 80 तौले के सेर में परिवर्तन करने के निर्णय के विरोध में शुरू किया। अन्ततः सरकार को अपना निर्णय वापिस लेना पड़ा।

डाबड़ा कांडः– 13 मार्च, 1947 को डीडवाना परगना के डाबड़ा गांव में किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद्ध की ओर से एक सम्मेलन बुलाया गया था। लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर एवं अन्य कार्यकर्ता स्थानीय नेता मोती लाल चौधरी के यहाँ ठहरे हुए थे। डाबड़ा के जागीरदारों ने मोती लाल के घर ही लाठियों एवं तेजधार वाले हथियारो से आक्रमण कर दिया व नेताओं की नृशंतापूर्वक पिटाई की। इस कांड में चुन्नीलाल शर्मा, रूधाराम, रामूराम, पन्नाराम व नन्दराम किसान शहीद हो गए।

शुद्धि आन्दोलनः– यह भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह की अगुवाई में भरतपुर में चलाया गया आन्दोलन था इस पर ब्रिटिश सता ने महाराजा कृष्ण सिंह को गद्धी से उतारकर डंकन मैकेजी नामक एक अंग्रेज अफसर को राज्य का प्रशासक बनाया।

नीमेज (आरा) हत्याकांडः– बिहार के आरा जिले के नीमेज ग्राम में एक धनाढ्य जैन महन्त का धन प्राप्त करने हेतु मोतीचंद, जयचन्द व अर्जुन लाल सेठी आदि ने मिलकर हत्या कर दी। इसमे मोतीचन्द को मृत्युदण्ड मिला व अर्जुनलाल सेठी को जेल हुई।

हार्डिंग्ज बमकाण्डः– 23 दिसम्बर, 1992 को दिल्ली में तत्कालीन गवर्नर जनरल हार्डिंग्ज के जुलूस पर श्री अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में प्रशिक्षण प्राप्त श्री जोरावर सिंह बारहठ ने चौदनी चौकी से बम फेंका। लार्ड हार्डिंग्ज बच गए। इस प्रकरण में श्री अर्जुनलाल सेठी को वैलूर जेल भेज दिया गया।

डाबी कांडः– सामंती अत्याचारों के विरूद्ध 23 जून, 1922 को हाड़ौती क्षेत्र के डाबी के तालाब पर आयोजित एक आम सभा में पंडित नयनूराम शर्मा के स्वयंसेवक नानक भील द्वारा झंडा गीत गाये जाने पर उस पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने उसे गोली मार दी। वह मंच पर ही शहीद हो गए।

मेयो कॉलेज बम केसः– 1934 के मध्य में तत्कालीन वायसराय की अजमेर यात्रा के दौरान उनकी हत्या करने के लिए ज्वाला प्रसाद व उनके साथी फतेहचन्द आदि ने मेथो कॉलेज के समीप खाली पड़े मकान में बम आदि हथियार छिपा दिए। परन्तु पुलिस की सक्रियता के कारण यह भी योजना विफल हो गई।

डोगरा कांडः– ज्वाला प्रसाद शर्मा एवं उसके साथियों ने अजमेर के एक पुलिस अधिकारी श्री पी.एन. डोगरा की हत्या करने की योजना बनाई। योजना की क्रियान्विति के दौरान 4 अप्रैल, 1935 को श्री डोगरा के एक सहयोगी पुलिस इस्पेक्टर श्री सलालुद्धीन मारे गए लेकिन स्वयं डोगरा बच गए।

पूनावाड़ा काण्डः– मई, 1947 में डूँगरपुर के ग्राम पूनावाड़ा कांड, जिसमें डूँगरपुर रियासती शासन ने पूनवाड़ा पाठशाला के भवन को ध्वस्त कर दिया तथा वहाँ के अध्यापक श्री शिवराम भील को बड़ी बेरहमी से पीटा।

रास्तापाल कांडः– डूँगरपुर के रास्तापाल ग्राम की पाठशाला में 19 जून, 1947 को घटित हत्याकांड जिसमें रिसायती सैनिको ने पाठशाला के संरक्षक श्री नानाभाई खांट को पाठशाला तुरन्त बन्द कर चाबी उन्हे न सोपे जाने पर मौत के घाट उतार दिया। इसके अतिरिक्त पाठशाला के अध्यापक सेंगाभाई को ट्रक से बांधकर घसीटने लगे तब एक 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई द्वारा अपने इस अध्यापक की रस्सी को काटकर मुक्त कराये जाने पर उस भील बालिका को गोलियों से छलनी कर दिया। 21 जून, 1947 को उसकी मृत्यु हो गई। आज भी गेबसागर के निकट पार्क में नानाभाई खांट व शहीद कालीबाई की मूर्ति प्रतिष्ठित है।

प्रयाण सभाएँः– डूँगरपुर रिसायत की प्रतिक्रियावादी एवं अन्यायपूर्ण नीतियों के विरूद्ध जनता में जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से डूँगरपुर प्रजामण्डल द्वारा सन् 1944 में आयोजित सभाएँ, जिला स्वरूप विनाभा भावे की भूदान पद्यात्राओं के समान ही था। अतः हम कह सकते हैं कि राजस्थान में विभिन्न जनजातियों द्वारा किये गये आन्दोंलन अंग्रेजी शासन के विरूद्ध तीव्र प्रतिक्रियाँ के रूप में सामने आये थे जिन्होनें ब्रिटिश सम्राज्य की जंड़ो को खोखला करने का कार्य किया।

सन्दर्भ

1. गुप्ता व ओझाः राजस्थान का इतिहास : एक सर्वेक्षण लिटटेरी सर्किल, जयपुर
2. C.S.K Singh: The Sound of drums tribal Movement in Rajasthan 1881-1947 Manak Publications
3. एस.एल. नागोरी : राजस्थान का इतिहास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
4. हेत सिंह बहोलाः राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा, प्रकाशक–रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर